प्रेषक,
तनया गुप्ता
सिविल जज (जू०डि०)
एफ.टी.सी.-02, वाराणसी।

सेवा में,
महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद न्यायालय, वाराणसी।

विषय: शासनादेश संख्या **1705**/दो **4-2011-45 (12)/91** टी०सी० लखनऊ दिनांक **03.01.2012** एवं शासनादेश संख्या **1363**/दो **4-200945 (12)/91** टी०सी० लखनऊ दिनांक **13.05.2010** अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में प्रार्थी के चयन के समय विधि स्नातकोतर एल०एल०एम० उपाधि धारक होने के कारण 3 अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भता व नियुक्ति की तिथि दिनांक **16.12.2019** से प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 16.12.2019 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर एल०एल०एम० उपाधि धारक थी। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय से ही विधि स्नातकोत्तर होने के कारण पदभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक: 16.12.2019 से 3 (तीन) अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है।

अतः माननीय महोदय से ससम्मान निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थी को पदभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 16/12/2019 से 3 (तीन) अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थी का यह प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपकी महती कृपा होगी।

सादर।

दिनांक- 21.07.2022 भवदीय

सिविल जज (जू०डि०)
एफ.टी.सी. द्वितीय, वाराणसी।

1- विधि स्नातकोतर परीक्षा के अंकपत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।
2- विधि स्नातकोत्तर उपाधि की प्रमाणित फोटो प्रति।